

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 2क
(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र की
क्रम सं० 21
समय 1:18 P.M.
तिथि 23/4/14

असं० 02-पत्रिका
श्रीक सभा निर्वाचन 23

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग- 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए 02 पश्चिम चम्पारण संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम सैयद हमीम अख्तर पिता/माता/पति का नाम _____
उसका डाक पता प्रेमनगर पो.मटहा थाना
उसका नाम पश्चिम चम्पारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट 11-
सुगौली विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 163 में क्रम सं० 1034
सुगौली पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम राजीव कुमार गिरि है जो प० चम्पारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट 7-चनपटिया विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 179 में क्रम सं० 1109 पर प्रविष्ट है।

तारीख 23-4-2014

राजीव कुमार
(प्रस्तावक के हस्ताक्षर)

भाग- 2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा निर्वाचन के लिए पश्चिम चम्पारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम _____
पिता/माता/पति का नाम _____
उसका डाक पता _____
उसका नाम _____ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र *(में समाविष्ट _____ विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या _____ में क्रम सं० _____ पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्तावकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्तावक का निर्वाचक नामावली संख्यांक							
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख	
1	2	3	4	5	6	7	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

कृपया ध्यान दें :- प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

भाग- 3

मैं, भाग 1/भाग-2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अन्यर्था इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि-

(क) मैंने 57 वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में बहुजन समाज पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य-दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए ।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अन्यर्था के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने है वे अधिमान क्रम में (i)

(ii) (ii) है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/प्रति का नाम ऊपर देवनागरी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं **जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो
राज्य के उस राज्य में के (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित
**जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 23-4-2014

Syed Ghulam Akbar
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आयटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग- 3 (क) (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या हाँ/नहीं
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो
वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है नहीं
यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :
- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट, संख्यांक ३१२५
- (ii) पुलिस थाना (थाने) ३१२५
जिला (जिले) ३१२५
राज्य ३१२५
- (iii) संबंध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण,
जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था ३१२५
३१२५
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) ३१२५
३१२५
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ३१२५

- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और या जुमाने (जुमानों) की राशि उपदर्शित करें
 21/25
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) 21/25
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हैं/नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलें)/ पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां :- 21/25
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (कें) नाम, जिसके (जिनके) समझ अपील (अपीलें) /पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :- 21/25
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलें) /पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे संवित है 21/25
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलें) /पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) 21/25
 (ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति 21/25

स्थान :- अतिथि

तारीख :- 23-4-2014

Sy. Q. Hamim Akbar
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग- 4

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम संख्या- 21

यह नामनिर्देशन मुझे/धरे कार्यालय में 23.4.2014 (तारीख) को 1-18pm (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक

द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख 23.4.2014

the 23/4
 (रिटनिंग आफिसर)
 02-सोचन कमरे का प्रभार निवासेन

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए ।

भाग- 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख _____

(रिटनिंग आफिसर)



GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
WEST CHAMPARAN SCORE BETIA

भारत
SCAMP DUTY
00000
RS=0000100= 22.4.2014
375344
INDIA

बिहार
JUDICIAL
BIHAR
62 0917796

COURT FEE
प्ररूप 26

Authorization No: 598

(नियम 4क देखिए)

J. N. Rao

Notary, Bettiah.



3850
23/04/14

परिचय पत्र चम्पारण निवाचन क्षेत्र से लोक सभा (सदन का नाम) के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं सैयद समीम अख्तर पुत्र/पुत्री/पत्नी मोहम्मद इब्राहीम आयु 51 वर्ष
जो बैरगंज पोस्ट भट्टा खाना सुजौली जिला चम्पारण
(लाका का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/
करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

- (1) मैं खुद जन समाज पार्टी (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम 11- सुजौली विहार विधान सभा (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 163 के क्रम सं 1034 पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा दूरगाथ सम्पर्क संख्या/संख्याएँ हैं/हैं 9473021983 mob
मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है शून्य
एवं मेरा जोशल पोडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है शून्य

(4) रथाई लेखा सख्यांक (पिन) के धारे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारियति :-

क्र. सं.	नाम	पिन	दिनांक वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपय में)
1.	स्वयं <u>सैयद समीम अख्तर</u>	<u>ANVTM1311N</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
2.	पति या पत्नी	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
3.	आश्रित-1	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
4.	आश्रित-2	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
5.	आश्रित-3	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>

23/04/14



Syed Shaukat Akhtar

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।


(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण खोरे	21/25
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	21/25
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	21/25
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	21/25
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	21/25
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकی गई है/हैं	21/25

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	(1) न्यायालय - 2 मोती मीनारी 2102/510 मोती मीनारी 21/25 22/25 23/25 24/25 25/25 26/25 27/25 28/25 29/25 30/25 31/25 32/25 33/25 34/25 35/25 36/25 37/25 38/25 39/25 40/25 41/25 42/25 43/25 44/25 45/25 46/25 47/25 48/25 49/25 50/25 51/25 52/25 53/25 54/25 55/25 56/25 57/25 58/25 59/25 60/25 61/25 62/25 63/25 64/25 65/25 66/25 67/25 68/25 69/25 70/25 71/25 72/25 73/25 74/25 75/25 76/25 77/25 78/25 79/25 80/25 81/25 82/25 83/25 84/25 85/25 86/25 87/25 88/25 89/25 90/25 91/25 92/25 93/25 94/25 95/25 96/25 97/25 98/25 99/25 100/25
(ख)	उन मामलों के खोरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	(1) 379 भा. 2. की 2 420 भा. 2. की
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलें)/आवेदन(आवेदनों) (यदि कोई हो) के खोरे	21/25

मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(195: का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न के लिए रिहायगी दहलाया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडबन्धा विरत बना है/नहीं विरत गया है।

Syed Shamim Akhtar



यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष टहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष टहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन पापलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष टहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, पता संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिराजित वंड	शून्य
(घ)	यदि सिद्धदोष टहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वानित्य की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में रूप सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में घातू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	75000=₹	5000=₹	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, जावधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थानों, गैर बैंककारी वित्तीय	उ.सि.आ.मि.ग. बैंक A/c No-10025610 30015821- 1000=₹ A/c No-10011210 A/c No-10011210 5000=₹	S.B-1 Bank सुप्रीमी- A/c No-32825 (A/c No-370538 ₹ 5000=₹	शून्य	शून्य	शून्य

Syed Shauqat Ali Khan

	कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	₹ 25	₹ 25	₹ 25	₹ 25	₹ 25
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में स्वेपत्रों, डिबेंचर्स/शेयर्स तथा यूनितों में विनिधान के ब्यारे और रकम	₹ 25	₹ 25	₹ 25	₹ 25	₹ 25
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यारे और डाकपर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	₹ 25	₹ 25	₹ 25	₹ 25	₹ 25
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, च्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और अग्रियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	₹ 25	₹ 25	₹ 25	₹ 25	₹ 25
(vi)	पोटरयान/वायुयान/याट/पोत (भिक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	₹ 25	₹ 25	₹ 25	₹ 25	₹ 25
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यारे)	सोने कि आंगुली 01 3123-2075 मिमात 30000/- दीर्घ एवा (लिपे)	गोला करीम का तिकड़ी - 20 2145 10 2145 सुन का 20 30000/- कि 20000/-	₹ 25	₹ 25	₹ 25
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	₹ 25	₹ 25	₹ 25	₹ 25	₹ 25
(ix)	संपन्न कुल मूल्य	₹ 111000 = 00	₹ 89000 = 00	₹ 25	₹ 25	₹ 25

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यारे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन के अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	2019 तीरथपुर - हिसवा, जिनगीर ब्लॉक 16/364	₹ 25	₹ 25	₹ 25	₹ 25
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	16 एकड़ 364	₹ 25	₹ 25	₹ 25	₹ 25
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	₹ 25	₹ 25	₹ 25	₹ 25

93/04/2019



S. S. Shyam A. Katar

	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	जून 2004	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	इसमार्ग (क्रय)	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
(ii)	गेर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां)	अवस्थिति (अवस्थितियां)	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	98 133 150 78 127 118	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	2534.5 वर्ग फुट	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	हां (15 अक्षर)	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	2013	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	पॉप गार्डन	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	12.7 लाख	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां)	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां)	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.	शु.श.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

25/07/2019

 NOTARY
 JASJJI NARAIN
 1121111111

Syed Shauqat Akhtar

AUTHORISED
100/2017

| | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|
| क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप) | 2400X | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध |
| निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप) | 2400X | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध |
| क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं) | नहीं | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध |
| स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | 1990 में | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध |
| क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में) | 50,000=00 | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध |
| विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध |
| अनुमानित घालू बाजार मूल्य | ₹18 लाख (₹18,00,000) का अनुमानित मूल्य | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध |
| (v) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित) | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध |
| (vi) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल घालू बाजार मूल्य | ₹22,00,000 का अनुमानित मूल्य | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध |

b) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

| क्रम सं. | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|----------|--|-------|--------------|----------|----------|----------|
| (i) | बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति) | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध |
| | पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यक्तियों, निकाय को ऋण या शोध्य | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध |
| | नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति | | | | | |
| | कोई अन्य दायित्व | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध |
| | दायित्वों का कुल योग | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध |
| (ii) | सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध |
| | जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध |
| | विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले | | | | | |

25/08/2014

JAGS KAPUR

N. S. JAGS KAPUR
DEPT. OF
SUPPORTED BY CHM OF ENR

Syed Shauhan AKhtar

Uttarakhand
LAW, JALPAIGURI

| | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|
| विभाग को शोध | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ |
| टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ |
| सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ |
| आप-कर शोध | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ |
| धनकर शोध | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ |
| सेवाकर शोध | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ |
| नगरपालिका/संपत्ति कर शोध | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ |
| विक्रयकर शोध | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ |
| कोई अन्य शोध | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ |
| (iii) सभी सरकारी शोधों का कुल योग | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ |
| (iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हा तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें। | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ |

9) वृत्ति या उदरजीविका के ब्यारे

(क) स्वयं सरकारी नौकरी का पेशेन स्वकृषि
 (ख) प्रति या पत्नी सरकारी मध्य विद्यालय के शिक्षिका मानदेय पर

10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है-

अभिप्लवा डिप्लोमा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) 1980
मैट्रिक पास लखीवाड़ी लुका विद्यालय (कानपुर) 1972

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यारे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यारों का उद्धरण

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अभ्यर्थी का नाम | श्री/श्रीमती/कु० <u>सैयद शमीम अकबर</u> |
| 2 | डाक का पूरा पता | <u>प्रमनगर मोहम्मदहायाना सुजौली, जिला - मुर्शीदाबाद</u> |
| 3 | निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य | <u>11- सुजौली बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 02 परमम चरफपुर</u> |

95/11/2014



Syed Shamin Akbar

NOT FOR USE

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---------------|----------|---------|
| 4 | उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा "स्वतंत्र" लिखें) | बहुजन समाज पार्टी | | | | |
| 5 | (i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरहित किए गए हैं। | शून्य | | | | |
| | (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सज्जान लिया है [उपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न] | शून्य | | | | |
| 6 | ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष उहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए] | शून्य | | | | |
| 7 | अंश का स्थायी लेखा सं० | वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है। | | कुल दर्शित आय | | |
| | (क) अभ्यर्थी | AMVT81311N | शून्य | शून्य | | |
| | (ख) पति या पत्नी | शून्य | शून्य | शून्य | | |
| | (ग) आश्रित | शून्य | शून्य | शून्य | | |
| 8 | आस्तियाँ और दायित्वों के बारे में (रूप में) | | | | | |
| | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित- |
| क | जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य) | कुल (व जमा हुआ) ₹ 11000=00 | ₹ 9000=00 | शून्य | शून्य | शून्य |
| ख | स्थावर आस्तियाँ | | | | | |
| | i | स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत | ₹ 5,50,000=00 | शून्य | शून्य | शून्य |
| | ii | क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो) | 1. सुजोली में 2400x पर मकान के संनिर्माण
2. सुजोली में मकान पर कुल लागत - ₹ 15,00,000=00 | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | कि | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत | ₹ 4,00,000 (मूल्य) दोनो मकानों के | शून्य | शून्य | शून्य |

95/04

NOTARY
S. SHAMSHAD
HYDRABAD

Syed Shaukat Akhtar

| | | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) | 12200000 = 00
फिरोज बाई वलाख (10) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य) | 5 लाख 94 पैसे | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 9 | दायित्व | | | | | |
| | i सरकारी शोध्य (कुल) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | ii बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 10 | ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है | | | | | |
| | i सरकारी शोध्य (कुल) | शून्य | 25 लाख | 25 लाख | 25 लाख | 25 लाख |
| | ii बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल) | शून्य | 25 लाख | 25 लाख | 25 लाख | 25 लाख |
| 11 | उच्चतम शैक्षिक अर्हता: 1. अफिलता हिन्दू विश्वविद्यालय (AMU) 1980 ई
2. मैट्रिक पास साठे हाईस्कूल (विश्वविद्यालय फरीदाबाद स्वीकृत) 1972 | | | | | |
| | (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रत्येक का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।) | | | | | |

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का नामला या लंबित मामला नहीं है,

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8.9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 23.4.14 को सत्यापित किया गया।

25/4/14

Syed Chamion Akter
अभिसाक्षी



1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रधान वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी नबिच के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथा स्थित "शून्य" या "नाथू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

Syed Chamion Akter

टिप्पण: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो शून्य या लागू नहीं या ज्ञात नहीं जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
 * मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याये है/हैं 9473021983
 मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है शून्य
 एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है शून्य